अनुदान संख्या 9 - कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	640,77,00	603,52,54	-37,24,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			37,24,04
पूंजीगत	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	1,55,00	1,41,99	-13,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			13,01

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5635.00	..	..	..
पु.	R.	-5635.00			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	53454.00	55841.69	55841.64	-0.05
पु.	R.	2387.69			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹5643.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹5220.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला और लिग्नाइट अन्य – व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹5643.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹5220.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹2500.00 लाख;

(A) "Regional Exploration" - ₹2500.00 lakhs;

(खा) "विस्तृत ड्रिलिंग" – ₹2000.00 लाख; और

(B) "Detailed Drilling" - ₹2000.00 lakhs; and

(गा) "कोल फ़ील्ड क्षेत्र में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹720.00 लाख।

(C) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹720.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियां कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2803" – "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना क्षेत्रीय अंवेषण" – ₹664.00 लाख की बचत (₹2075.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2803" - "Special Component Plan for Scheduled Castes - Regional Exploration" - saving of ₹664.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2075.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹477.10 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत है।

(III) Under one head saving of ₹477.10 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रयुक्त हो गईं:

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2803" - under the following heads:-

(I) "अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग – कोयला और लिग्नाइट का अंवेषण" – ₹2045.00 लाख का अधिक व्यय (₹32895.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत वेधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Exploration and Detailed Drilling - Exploration of Coal and Lignite" - excess of ₹2045.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32895.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Detailed drilling and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – विस्तृत वेधन" – ₹516.00 लाख का अधिक व्यय (₹1720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के लंबे समय से बकाया के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹498.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत था।

(II) "Tribal Area Sub-Plan - Detailed Drilling" - excess of ₹516.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1720.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending dues of previous years.

(III) Under one head excess of ₹498.00 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.